

बिहार सरकार  
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

ई-मेल

दूरभाष सं०:- 0612-2217956  
फैक्स:- 0612-2215611/2215978  
ई-मेल:- ceo\_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी1-3-112/2019 - 15

पटना, दिनांक 03 जनवरी, 2020 ई०।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषय :- अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2020 - विशेष अभियान दिवस के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 7780 दिनांक 14.11.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया सदर्थ किया जाये। उक्त पत्र के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/2019-ERS (Vol.-III) दिनांक 11.11.2019 द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2020 से संबंधित संशोधित कार्यक्रम संसूचित है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अवधि
1	एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन	16.12.2019 (सोमवार)
2	दावे आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि	16.12.2019 (सोमवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक
3	दावे आपत्तियों का निराकरण	27.01.2020 (सोमवार) तक
4	अनुपूरक सूची की तैयारी	04.02.2020 (मंगलवार) तक
5	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	07.02.2020 (शुक्रवार)

उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 05.01.2020 (रविवार) एवं 12.01.2020 (रविवार) को विशेष अभियान दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। निर्धारित विशेष अभियान को मतदान केन्द्र पदाधिकारी यथेष्ट संख्या में सभी प्रपत्र के साथ संबंधित मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगे एवं निर्वाचकों से दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

5/3/1

(एच० आर० श्रीनिवास)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक - 15

पटना, दिनांक 03 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त-सह-निर्वाचक सूची प्रेक्षक, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/1

(एच० आर० श्रीनिवास)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक - 15

पटना, दिनांक 03 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।